

नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क (Nandankanan Zoological Park)

केंद्रीय चड़ियाघर प्राधकिरण ने ओडशा के सतकोसिया टाइगर रजिर्व से पकड़ी गई बाघनि को नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में स्थानांतरित करने के कदम का वरिध कया है ।

- राष्ट्रीय चड़ियाघर नीति, 1998 के अनुसार, अनुमोदित प्रजनन कार्यक्रम के लिये जानवरों को प्राप्त करने और इनब्रिडि समूहों में नए खून के संचार को छोड़कर, कोई चड़ियाघर जंगल से जानवरों का चयन नहीं करेगा ।

नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क

- नंदनकानन, जिसका शाब्दिक अर्थ है गार्डन ऑफ हेवन, ओडशा के भुवनेश्वर के समीप अवस्थित है ।
- देश में अन्य चड़ियाघरों के विपरीत, नंदनकानन को जंगल के अंदर स्थापित कया गया है । यह एक पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में स्थापित जूलॉजिकल पार्क है ।
- यह सफेद पीठ वाले गदिध (White-backed vulture) के संरक्षित प्रजनन के लिये चयनित छः प्रमुख चड़ियाघरों में से एक है ।

इस पार्क की विशेषताएँ

- सफेद बाघ और मेलेनसिटिक टाइगर की ब्रीडिंग वाला दुनिया का पहला चड़ियाघर ।
- व्हाइट टाइगर बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रूप है जिसमें एक अद्वितीय (अवशिष्ट) जीन होता है जो इसे सफेद रंग प्रदान करता है । सफेद बाघ, बाघ की कोई उप-वशिष्ट प्रजाति नहीं होती है । दो बंगाल टाइगर, जिनमें एक अवशिष्ट जीन होता है (वैसा जीन, जो इनकी त्वचा के रंग को प्रभावित करता है), के अंतरसंबंध से सफेद बाघ का जनम होता है ।
- मेलेनसिटिक टाइगर काला धारीदार होता है, इसे यह रंग इसके आनुवंशिक कारणों से मलित है । शरीर में मेलेननि वर्णक के विकास के कारण इनके शरीर पर काली धारियाँ बन जाती है । मेलेनसिटिक टाइगर दुर्लभ प्रजाति है ।
- दुनिया में भारतीय पांगोलिन का एकमात्र संरक्षित प्रजनन केंद्र ।
- यह भारत का एकमात्र जूलॉजिकल पार्क है जो वाज़ा (World Association of Zoos and Aquarium - WAZA) का संस्थागत सदस्य बना है ।
- वर्ष 1980 में विश्व में पहली बार नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में घड़ियालों का संरक्षित प्रजनन कराया गया ।
- यह भारत का पहला चड़ियाघर है, जहाँ लुप्तप्राय रटेल का संरक्षित प्रजनन हुआ ।

केंद्रीय चड़ियाघर प्राधकिरण (Central Zoo Authority)

- केंद्रीय चड़ियाघर प्राधकिरण, एक सांविधिक निकाय (statutory body) है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में जानवरों के रख-रखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों तथा मानदंडों को लागू करना है ।
- चड़ियाघरों को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार वनियमति तथा राष्ट्रीय चड़ियाघर नीति, 1992 द्वारा नरिदेशित कया जाता है । 1991 में केंद्रीय चड़ियाघर प्राधकिरण स्थापित करने के लिये वन्य जीवन संरक्षण को संशोधित कया गया था ।